

प्ररूप 2क
(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र की
क्रम सं० 33
समय 12:50 PM
तिथि 24.4.2014

आर०ओ०-1-बालीकिनगर
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

नामनिर्देशन-पत्र लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम
..... उसका डाक पता
..... उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट
..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं०
पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०
..... में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख

(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा निर्वाचन के लिए 01-बालीकिनगर संसदीय निर्वाचन
क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम श्री० अमरेश प्रसाद
पिता/मूर्ता/पत्नी का नाम जगत साह
उसका डाक पता ज्ञान विरक्षिता निजामत पो० परसोना तपस्वी माया जौतापुर, पूर्वी चम्पारण
उसका नाम 02-पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट 10.3.2014 विधान
सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 78 में क्रम सं० 1320 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम
उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस
नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1	9-सिकदा	77	267	हजारी साह	हजारी साह	24.4.14
2	9-सिकदा	77	960	जवाहिर साह	जवाहिर साह	24.4.14
3	9-सिकदा	77	966	बेचू साह	बेचू साह	24.4.14
4	9-सिकदा	77	968	डीरा साह	डीरा साह	24.4.14
5	9-सिकदा	77	971	गामभिरा साह		24.4.14
6	9-सिकदा	77	16	अजय कुमार गौड़	अजय कुमार गौड़	24.4.14
7	2-रामनगर	80	66	दिनेश प्रसाद केशरी	दिनेश प्रसाद केशरी	24.4.14
8	2-रामनगर	80	850	शत्रुघन साह	शत्रुघन साह	24.4.14
9	2-रामनगर	80	855	नवल किशोर साह	नवल किशोर साह	24.4.14
10	2-रामनगर	80	858	रवि कुमार	रवि कुमार	24.4.14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग- 3

मैं, भ्रम 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 62 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें)

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय मुक्ति मोर्चा दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने है वे अधिमान क्रम में (i)

(ii) (iii) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवताजरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं *जति/जनजाति का सदस्य हूँ जो बिहार राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित गोंड **जति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 24-4-2014

अमरेश प्रसाद

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आपंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग- 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,
सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक शून्य

(ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य

जिला (जिले) शून्य

राज्य शून्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शून्य

शून्य

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) शून्य

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शून्य

- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
 शून्य
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
 शून्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हों/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां :-
 शून्य
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें) /पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :-
 शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है
 शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) /पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
 शून्य
 (ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति
 शून्य

स्थान :- खेतिघा

तारीख :- 24.4.2014

अभ्यर्थी प्रसाद

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग- 4

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम संख्या-
 33

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 24.4.14 (तारीख) को 12.50 PM (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख 24/4/2014

निर्वाह (रिटनिंग आफिसर)
 01-बालीकिंगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग- 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख

(रिटनिंग आफिसर)



अमरेश प्रसाद



3852
24/04/14

(नियम 4क देखिए)

J. N. Rao,
Notary, Bettiah

105/2

01-वालमीकिनगर निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं प्रो० अमरेश प्रसाद पुत्र/पुत्री/पुत्री जगत साह आयु 62 वर्ष जो ग्राम सिरिसिया निजामत थाना पलनवा पो० परसौना तपसी भागा जैतापुर जिला पूर्वी चम्पारण थाना-पलनवा (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं गकारखण्ड मुक्ति मोर्चा (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)


(2) मेरा नाम 10रक्सौल विहार विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 78 के क्रम सं० 1320 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें-हैं/हैं 8084280128
मेरा ई-मेल आईडी0 (अगर कोई हो) है शून्य
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :-

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रुपए में)
1.	स्वयं अमरेश प्रसाद	AI6PP1653C	2013-2014	16लाख 54हजार 95 रुपया
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

24/04/14



22/11/2014
1/10/2014
22/11/2014

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद

(i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	न्यायालय, अनुमंडल न्यायिक दण्डधिकारी मोतीदारी सदर Tr No 74/2014
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	धारा-420, 500 मा.द. वि एवं 3/4 इंडेल अधिनियम
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंड दे दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50000.00 (सन्ध्या 5 जमा(क))	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	लेन्डर बैंक शाखा अदिति/ALNB- 3327157426 एक एकाएक 5 जमा(क) FNB बरमसा ALNB 803010000 7573 - एन एन एन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	DoL No-15F0144 720 मा-जीवन बीमा निगम शेयरों एवं शेरा-मालोसी पॉलिसी के तहत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	एकारपिओ BROS H5347 B39 लाइ मालोसी BROS 6249 B3 3 लाइ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	250 ग्राम सोने का जेवरात कीमत सात लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	तीस लाख रुकान एक लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	सिद्धि शिवा निवा एकड़ों, सतगढ़ शिकाट पं-अमिता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



AUTHORIZED
 188/2019
 11/10/2019

क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1500	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	गिन लाकरूपके	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	सत्रह लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

24/04/2019
 NOTARY
 W CHAMPARAN
 SETTAR
 by G. S. Choudhary

विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं प्राध्यापक विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर विभाग, लतीत नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं कृषि
(ख) पति या पत्नी..... शून्य

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

पी० एच० डी० (3-3-2012) एम० ए० मुजफ्फरपुर 1980 बिहार विश्वविद्यालय, बी० ए० आर्क० 1974 बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर
मैट्रिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति-वर्ष 1969

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरों का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/डॉ० प्री० अमरेश प्रसाद
2	डाक का पूरा पता	ग्राम-सिरिसिया निजामत पो० परसोना तपती माया जैतापुर थाना धलनवा जिला पूर्वांचल
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	10 रकसोत बिहार विधान सभा, भाग सं० 78 क्रम सं० 1320



10/11/2014
100-287C
100-287C

4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)	भारतवर्ष मुक्ति मोर्चा				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	एक				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	शून्य				
7		स्वयं का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	A16PPI653C	2013-2014	सोल्ट लाव जीवन हजार धनभावे रुपये		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	तीस लाख एकान हजार रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां					
	i	स्वर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कि		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	iii	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
W. CHAMPAN
BETHIAH
Appointed by Govt. Of Bihar


	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	i सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: पी०एच०डी० (3-3-2012) एम०ए०-भूगोल 1980 बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बी०ए० आगर्ष 1974 बिहार विश्वविद्यालय, मैट्रिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना 1969 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौर दें।)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.4.2014 को सत्यापित किया गया।


 Rashed Aziz अभिसाक्षी
 24.4.14

- टिप्पण: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असाफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं 8084280128 (मोबाइल)
मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य